अध्याय 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एनबीएफसी-एनडी-एसआई को दिशा-निर्देश जारी किये जिन्हें आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड के रूप में जाना जाता है। इन निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एनबीएफसी को; सुपरिभाषित क्रेडिट कमजोरियों की मात्रा और वसूली के लिए समर्थक प्रतिभूति पर निर्भर रहने की सीमा को ध्यान में रखते हुए, अपने ऋण और अग्रिम तथा किसी अन्य प्रकार के क्रेडिट को मानक, अव-मानक, शंकापूर्ण और हानि वाली परिसंपत्तियों में वर्गीकृत करना चाहिए। इन परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रावधान के प्रतिमान भी निर्दिष्ट किये गये हैं। आरबीआई ने ऋण के इक्विटी में परिवर्तन, पुनर्गठन और प्रतिभूति मूल्यांकन में संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किये। आईएफसीआई द्वारा इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा से निम्नलिखित ज्ञात हुआ:

3.1 परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए आरबीआई के प्रतिमान

आरबीआई अनुबद्ध करता है कि परिसंपत्तियों, जिन के संबंध में ब्याज या मूल पांच महीनों से अधिक बकाया हो, को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, अनर्जक परिसंपत्ति को अव-मानक, शंकापूर्ण और हानि वाली परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया जाना है और उनके प्रति, किसी खाते के अनर्जक होने, उस रूप में उसकी मान्यता, प्रतिभूति की वसूली और प्रभारित प्रतिभूति के मूल्य में समय के दौरान कमी, के बारे में समय अंतराल को ध्यान में रखने के बाद, प्रावधान तैयार किये जाने अपेक्षित हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-4: आरबीआई के वर्गीकरण और प्रावधान के नियम

परिसंपत्ति की	वर्गीकरण प्रतिमान	प्रावधानिकरण प्रतिमान
प्रकृति		
1. हानि वाली	क) वह परिसंपत्ति जिसे	संपूर्ण परिसंपत्ति को बहे खाते में
परिसंपत्तियां	एनबीएफसी/आंतरिक/बाह्य	डाल दिया जायेगा। यदि परिसंपत्ति
	लेखापरीक्षा/आरबीआई द्वारा	को किसी कारण से बही खातों में
	हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में	रखने की अनुमति थी, तो बकाया के
	पहचाना गया है जिस सीमा	100 <i>प्रतिशत</i> का प्रावधान किया
	तक बहे खाते में नहीं डाला गया	जाना चाहिए।
	है।	
	ख) कोई परिसंपत्ति जो	

	प्रतिभूति की अनुपलब्धता, या इसके मूल्य में क्षरण या कर्जदार द्वारा धोखाधड़ी या चूक के कारण वसूल न हो पाने के खतरे से प्रभावित हो	
2. शंकापूर्ण परिसंपत्तियां	एक परिसंपत्ति जो 1621 महीनों से अधिक की अवधि तक अवमानक रहती है।	(क) परिसंपत्ति के उस भाग के प्रति, जो प्रतिभूति के वस्ली योग्य मूल्य द्वारा कवर नहीं है, 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाना चाहिए। (ख) उपरोक्त मद (क) के अतिरिक्त, परिसंपत्ति के शंकापूर्ण रहने की अविध के आधार पर, प्रतिभूत भाग के 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात: बकाया का संभावित वस्ली योग्य मूल्य) का प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए:
अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को शंकापूर्ण माना गया है।		प्रावधान (प्रतिशत के रूप में)
एक वर्ष तक		20
एक वर्ष से तीन वर्ष		30
तीन वर्ष से अधिक		50
3. अव-मानक परिसंपत्तियां	परिसंपत्ति जिसे 16 ²² महीनों तक की अवधि के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	कुल बकाया के 10 <i>प्रतिशत</i> का एक सामान्य प्रावधान किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधान के प्रतिमानों की अनुपालना की समीक्षा लेखापरीक्षा में की गई थी और निम्नलिखित कमियां पाई गई:

²¹ पहले के 18 महीनों के प्रतिमानों से, 16 महीनों (2015-16 से प्रभावी) के लिए संशोधित किया गया।

 $^{^{22}}$ पहले के 18 महीनों के प्रतिमानों से, 16 महीनों (2015-16 से प्रभावी) के लिए संशोधित किया गया।

- लवासा कार्पोरेशन लिमिटेड को दिये गये ऋण को उपलब्ध अपर्याप्त प्रतिभूति और कंपनी
 द्वारा एक परिसमापन याचिका फाईल करने के मद्देनजर उपरोक्त आरबीआई दिशा-निर्देशों
 के अनुसार हानि परिसंपत्तियों की अपेक्षा अव-मानक के रूप में गलत प्रकार दर्शाया गया
 था जिसके कारण 2015-16 में ₹54.18 करोड़ का लाभ अधिक बताया गया।
 - प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि बकाया ऋण मूर्त परिसंपित्तयों के रूप में 40 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त रूप से प्रतिभूत किया गया था और 31 मार्च 2016 को चूक की अविध के आधार पर 10 प्रतिशत प्रावधान किया गया था। उपलब्ध प्रतिभूति अपर्याप्त होने के मद्देनजर उत्तर मान्य नहीं है।
- वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए पीपावाव मरीन और ऑफशोर लिमिटेड (पीएमओएल) को प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा अपर्याप्त प्रतिभूति कवर, समूह के विगत खराब ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार संदिग्ध परिसंपत्ति दर्शाने की अपेक्षा मानक परिसंपत्ति दर्शाई गई थी। इसके कारण क्रमश: ₹79.36 करोड़ और ₹151.96 करोड़ तक का अधिक लाभ बताया गया।
 - प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि पर्याप्त प्रतिभूति कवर उपलब्ध था।

 उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 1.22 की प्रतिभूति कवर सामान्य उधार नीति के अनुबद्ध
 अर्थात 2 गुणा प्रतिभूति कवर से अब भी कम थी।
- विज़डम ग्लोबल इंटरप्राईज़ लिमिटेड (डब्ल्यूजीईएल) को दिये गये ₹38.02 करोड़ के बकाया ऋण के प्रति प्रदान की गई प्रतिभूति विवादास्पद थी और तद्नुसार 100 प्रतिशत का प्रावधान ही आवश्यक था जिसके प्रति कंपनी ने आंशिक प्रावधान किया था। इसके परिणामस्वरूप 2015-16 में ₹12.10 करोड़ से अधिक लाभ बताया गया।
 - प्रबंधन ने, इस तथ्य के अतिरिक्त कि भूमि विवादास्पद थी, यह तथ्य स्वीकार किया (नवम्बर 2016) कि ऋण के लिए प्रतिभूति यह कृषि भूमि तीसरी पार्टी के कब्जे में थी।

4.2 बकाया मूलधन के ऋण या इक्विटी में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

1. आरबीआई दिशा-निर्देशों (मार्च/जुलाई 2015) के अनुसार यदि ऋण या इक्विटी निवेश बकाया मूलधन के परिवर्तन द्वारा सृजित किया जाता है, तो यह पुनर्गठित अग्रिम के समान परिसंपत्ति श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे परिवर्तित लेखपत्रों को चालू निवेश के रूप में माना जाएगा और निम्नतया मूल्यांकित किया जाएगा:

- (i) मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत इक्विटी, यदि सूचीबद्ध है तो बाजार मूल्य पर या यदि सूचीबद्ध नहीं है तो ब्रेक-अप मूल्य पर मूल्यांकन होगा।
- (ii) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश यदि सूचीबद्ध है तो बाजार मूल्य पर या यदि सूचीबद्ध नहीं है तो ₹ 1 पर मूल्यांकन होना चाहिए।
- 2. इसके अतिरिक्त, आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऋण के इक्विटी में परिवर्तन को केवल सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में किया जाना चाहिए।

यद्यपि, उपरोक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि:

पुनर्गठन के भाग के रूप में ऋण के इक्विटी में परिवर्तन करने से प्राप्त इस्सार स्टील लिमिटेड, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और पॉलीजेंटा टेक्नोलॉजिज लिमिटेड के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर आरबीआई दिशानिर्देश (मार्च/जुलाई 2015) द्वारा निर्दिष्ट चालू निवेश के स्थान पर दीर्घ-अविध निवेश के अंतर्गत नये निवेश दर्शाए गये थे। इसके परिणामस्वरूप 2014-15 में ₹2.96 करोड़ और 2015-16 में ₹2.05 करोड़ का अधिक लाभ बताया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि चूंकि इन कंपनियों में निवेश एक वर्ष से कम अविध तक रखने के लिए नहीं किये गये थे, इसलिए ये आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार दीर्घाविध निवेशों के रूप में वर्गीकृत किये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि ये निवेश परिवर्तित परिसंपत्तियां थी जिनके लिए कथित आरबीआई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया था।

4.3 दीर्घावधि निवेश के लिए लेखाकरण

आरबीआई दिशा-निर्देश (मार्च/जुलाई 2015) अनुबद्ध करते हैं कि दीर्घाविध निवेश भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक अर्थात लेखाकरण मानक-13 के अनुसार मूल्यांकन किये जाने हैं जिसमें यह अपेक्षित था कि अस्थाई के अतिरिक्त कमी लाभ और हानि लेखा में प्रभारित की जानी थी।

यद्यिप, 2014-15 के दौरान, कंपनी ने इक्विटी शेयरों के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान के लिए एक नीति अपनाई जिसके अनुसार कोई भी कमी तब तक प्रभारित नहीं की जाएगी जब तक कि वापसी-खरीद व्यवस्था में चूक न हो और गैर-सूचीबद्ध इक्विटी के बहीखाता

मूल्य में कमी 75 प्रतिशत से अधिक न हो। यह उपरोक्त आरबीआई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच से पता चला कि इस नीति के परिणामस्वरूप, कंपनी ने निवल संपत्ति के क्षरण, सतत नकद हानि, प्रतिशेयर नकारात्मक अर्जन, संचित हानियों और निवेशित कंपनियों द्वारा वापसी-खरीद प्रतिबद्धता न होने/चूक होने के बावजूद 2014-15 में छ: इक्विटी²³ निवेशों के संबंध में ₹734.31 करोड़ के दीर्घाविध निवेश के प्रति कोई प्रावधान नहीं किए/अपर्याप्त प्रावधान किए।

2015-16 में भी इसी प्रथा को अपनाने के कारण विगत वर्ष के दौरान उपरोक्त छ: कंपनियों में से पांच के संबंध में ₹706.17 करोड़ के दीर्घाविध निवेश के प्रति अपर्याप्त प्रावधान हुए।

केवल बही खाते मूल्य के आधार पर गैर- सूचीबद्ध इक्विटी के मूल्यांकन ने निवेश के सही मूल्य को नहीं दर्शाया। ऐसे गैर-सूचीबद्ध शेयरों के मूल्य में कमी को निवेशों के उचित मूल्य को दर्शाने के लिए उपयुक्त रूप से प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। निवेशों के मूल्यांकन को इस तथ्य से भी पुष्टि मिलती है कि सामान्यत: वित्तपोषण के अंतर्गत सहायता गैर- सूचीबद्ध इक्विटी के रूप में होती है और वापसी-खरीद में चूक कंपनी की एनपीए स्थिति में नहीं दर्शायी जाती है यद्यपि वे आधारभूत रूप से ख़राब निवेश हैं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि कोई अपर्याप्त प्रावधान नहीं था। तथापि, ये निवेश 2016-17 में नये मूल्यांकन करके पुन: निर्धारित किये जाएंगे।

उत्तरों को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि वे कंपनियां जिनमें ये निवेश किये गये थे, वापसी-खरीद में कोई प्रतिबद्धता न /चूक होने के अलावा वित्तीय रूप से कमजोर थीं।

4.4 आरबीआई के पुनर्गठन प्रतिमान

एनबीएफसीज़ द्वारा अग्रिमों के पुनर्गठन पर आरबीआई के विवेकपूर्ण प्रतिमानों (मार्च/जुलाई 2015) ने अनुबद्ध किया कि तब तक किसी भी खाते को पुनर्गठन के लिए नहीं लिया जाएगा जब तक कि वित्तीय व्यवहारिकता और कर्जदार से पुन: भुगतान की तर्कपूर्ण निश्चितता नहीं स्थापित हो जाती। निम्नलिखित मामलों में उपरोक्त प्रतिमानों का उल्लंघन पाया गया:

²³ एबीजी सीमेंट लिमिटेड, गायत्री हाई-टैक हॉटल लिमिटेड, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनेरेशन लिमिटेड, एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज और चेन्नै नेटवर्क इंफ्रास्ट्रैक्चर।

कंपनी ने गायत्री एनर्जी वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड (जीईवीपीएल) को पुननिर्धारण पैकेज संस्वीकृत किया (जून 2015) और व्यवहारिकता प्रक्षेपणों से ₹150 करोड़ की वापसी-खरीद देयता को इस आधार पर घटाया कि उक्त को जीपीएल (मूल कंपनी) द्वारा वहन किया जाना था और न कि जीइवीपीएल (कर्जदार) द्वारा जिसका खाता पुनर्गठित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, पुनर्संरचना को जीपीएल द्वारा पुनः भुगतानों की व्यवहारिकता का विश्लेषण किये बिना और इन तथ्यों का संज्ञान लिये बिना अनुमोदन किया गया कि इसकी वित्तीय अवस्था में गिरावट हुई थी तथा जीपीएल नकदी की कमी को झेल रही थी और जनवरी 2015 में ही संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ²⁴) के अंतर्गत अपने सभी ऋणों को पुनर्गठित किया गया था। कंपनी का यह कार्य जीइवीपीएल की कमजोर क्रेडिट सुविधा को एवरग्रीन करने का प्रयास था।

प्रबंधन का उत्तर (नवम्बर 2016), कि जीइवीपीएल और जीपीएल दोनों के प्रक्षेपणों को ध्यान में रखा गया, मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय व्यवहारिकता को स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि विशिष्ट रूप से जीपीएल ऋण को जनवरी 2015 में जेएलएफ के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया था जबिक जीइवीपीएल ऋण जून 2015 में पुनर्गठित हुआ था।

इंड स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड (आईएसएलएल) और इण्ड स्विफ्ट लिमिटेड (आईएसएल) के संबंध में 2012-13 (आईएसएल और आईएसएलएल में क्रमश: ₹120.94 करोड़ और ₹119.91 करोड़) में कर्जदारों द्वारा उठाई गई हानि, बड़ी वित्त लागत और प्रति शेयर नकारात्मक नकद अर्जन और इस तथ्य कि कर्जदार ने जुलाई 2012 के कार्पोरेट ऋण पुनर्सरचना पैकेज के अनुपालन करने में चूक की थी, के बावजूद पुनर्सरचना (जून 2013) की गई थी। इस प्रकार वित्तीय व्यवहारिकता को स्थापित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि दोनों कंपनियों के संबंध में ऋण मार्च 2016 में दिए गये थे। उत्तर वित्तीय व्यवहारिकता स्थापित किये बिना ऋणों की पुनर्सरचना के मामले पर रोशनी नहीं डालता जैसा कि लेखापरीक्षा में इंगित किया गया है।

 आईवीआरसीएल इंदौर गुजरात टॉल लिमिटेड (आईआईजीटीएल), इंदौर और आईवीआरसीएल छेंगापल्ली टॉल लिमिटेड (आईसीटीएल) के संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा
 कि दोनों मामलों में वित्तीय व्यवहारिकता के निर्धारण में बाह्य निधियों की उपलब्धता

²⁴ आरबीआई के जेएलएएफ दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्ट्रेस्ड खाते के जल्दी समाधान हेतु एक संयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही योजना बनाने के लिए उधारदाताओं की एक सिमिति।

को परिकल्पित किया, जो वर्तमान में स्वयं (आईसीटीएल) सिंहत कई अन्य परियोजनाओं में कर्जदारों के निवेशों को बेचने²⁵ से आने थे और न कि आंतरिक प्रोद्भवन से अर्थात उन परियोजनाओं के नकद प्रवाह से जिनके लिए सुविधा को संस्वीकृत किया गया था। चूंकि निवेशों के लिए बिक्री के विलेखों को अभी पूरा किया जाना शेष था, इसलिए योजनाबद्ध आगामी तीन वर्षों में उनके प्रोद्भवनों की यथार्थता की कल्पना नहीं की जा सकी। इसलिए आरबीआई नियमों के अनुसार वित्तीय व्यवहारिकता को स्थापित किया जाना शेष था। पुनर्सरचना (ब्याज वापसी और अतिरिक्त प्रावधान के कारण) के कारण आईआईजीटीएल और आईसीटीएल के संबंध में लाभ प्रदत्ता पर प्रभाव क्रमशः ₹13.91 करोड़ और ₹13.26 करोड़ था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि कंपनी तीन एसपीवी में हिस्सेदारी की बिक्री में प्रक्रियारत है और बिक्री प्रक्रिया के लिए सभी उधारदाताओं की सहमति भी प्राप्त की जा चुकी है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि पुनर्सरचना के लिए वित्तीय व्यवहारिकता स्थापित करना शेष रहा है क्योंकि एसपीवी की बिक्री पूर्ण नहीं हुई थी।

4.5 आरबीआई द्वारा जारी पूर्वव्यापी पुनर्संरचना के प्रतिमान

आरबीआई प्रतिमानों (मार्च/जुलाई 2015) के अनुसार, एनबीएफसी पूर्वव्यापी प्रभाव से कर्जदारों के खातों की पुनर्सरचना/पुनर्निर्धारण/पुन: मोल-भाव नहीं कर सकता। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामलों में इन प्रतिमानों का उल्लंघन देखा:

• आईवीआरसीएल गुजरात और आईवीआरसीएल छेंगापल्ली के संबंध में पुनर्सरचना के लिए कर्जदारों के अनुरोध के सम्बन्ध में यह देखा गया कि आईएफसीआई ने पुनर्सरंचना 30 जून 2014 से अनुमोदित की अर्थात पुनर्सरंचना आवेदन की प्राप्ति (आईवीआरसीएल गुजरात और आईवीआरसीएल छेंगापल्ली के संबंध में क्रमश: अक्टूबर 2014 और नवम्बर 2014) से पहले। उक्त को करने का कारण यह था कि ऋण को एनपीए होने से बचाया जा सके जिसके कारण वर्तमान पांच प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत के उच्चतर एनपीए प्रावधान करने पड़ते।

²⁵ यह अपने ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु नकद प्रवाह सृजित करने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियां बेचने की प्रक्रिया है।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि उनके अनुसार आवेदन की प्राप्ति की तिथि से पहले के ब्याज को भी वित्त-पोषित किया जा सकता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ ऋणों की पुनर्संरचना करने की आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमित नहीं है।

• बिनानी सीमेंट लिमिटेड (बीसीएल) के संबंध में पुनर्सरचना प्रस्ताव का अनुमोदन (9 दिसम्बर 2014) बीसीएल के पुनर्सरचना अनुरोध (2 अगस्त 2014) की प्राप्ति से पहले की तिथि अर्थात 15 फरवरी 2014 से ऋणों की पुनर्सरचना द्वारा लागू किया गया था जो कि उपरोक्त आरबीआई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था क्योंकि खाते की पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पुनर्सरचना की गई थी।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि पुनर्संरचना प्रस्ताव 12 अगस्त 2014 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और मास्टर पुनर्संरचना करार 13 दिसम्बर 2014 को हस्ताक्षरित किया गया था। यद्यपि उत्तर ऋणों की पूर्वव्यापी पुनर्संरचना के मामले का समाधान नहीं दर्शाता जैसा कि लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।